नाम- डॉ. प्रदीप कुमार राम
विषय- राजनीति-शास्त्र
कक्षा- बी. ए. (प्रतिष्ठा) पार्ट-01
सत्र - 2019-20
पेपर सं- 01
दिनांक - 18.05.20

टॉपिक - आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत

आदर्शवाद के उग्रवादी एवं उदारवादी पक्ष के आधार पर दो रूप होते हुये भी मूल विचारधारा एक ही है। जिसका उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है-

(1.) राज्य एक नैतिक संस्था है - आदर्शवादियों के अनुसार राज्य सार्व नैतिक विचार का ही प्रत्यक्षीकरण है और राज्य की व्यवस्था अनैतिक एवं मूर्ख मानव को नैतिक, योग्य तथा विवेकशील बनाती है। इसमें राज्य द्वारा व्यक्ति को अपनी सामाजिक स्थिति से संबंधित कर्तव्यों को करने के योग्य बनाने की चेष्टा की बात कही गई है।

(2.) राज्य साधन है, साध्य नहीं - आदर्शवाद के अनुसार राज्य एक ऐसा साध्य है, जिसके विकास हेतु व्यक्ति को अपना बलिदान करने के लिये भी प्रयत्नशील रहना चाहिये क्योंकि राज्य सभी ध्येय के लिये साधन मात्र है उसे पूर्ण रूप से राज्य की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिये।

(3.) राज्य का अपना लक्ष्य तथा व्यक्तित्व -

आदर्शवाद के अनुसार, राज्य की इच्छा आत्मा की व्यक्तिगत एवं सामूहिक इच्छा से पृथक और उच्चतर होती है तथा उसकी सत्ता उन व्यक्तियों की समष्टि से भिन्न तथा उच्चतर होती है जिनसे वह बनता है।

(4.) राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है — रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत आदर्शवादी दर्शन का केन्द्रबिंदु है। रूसो की सामान्य इच्छा राज्य के रूप में मूर्त रूप ग्रहण करती है। राज्य का कोई भी कार्य व्यक्ति की इच्छा के विपरीत नहीं होता क्योंकि राज्य उस सामान्य इच्छा के अनुकूल कार्य करता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति की 'आदर्श इच्छा' भी सम्मिलित होती है। सामान्य इच्छा का प्रतिनिधि होने के कारण राज्य के सभी कार्य आवश्यक रूप से उचित, विवेकपूर्ण और नैतिकतापूर्ण होते हैं।

(5.) आंतरिक और बाह्य दोनों से सर्वशक्तिमान — आदर्शवाद के अनुसार राज्य सर्वशक्तिमान, सर्वाधिकार संपन्न और नैतिकता का संरक्षक है। राजाज्ञा का प्रयोग चाहे कोई भी करे व्यक्ति के लिये आवश्यक है कि वह राज्याज्ञा का पूर्णतः पालन करे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी राज्य की शक्ति असीम है और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी इसकी कार्यनीति को नियंत्रित नहीं कर सकती।

(6.) राज्य का आधार बल नहीं, इच्छा है — अर्थात् राज्य शक्ति, राज्य के कानून तथा उसके आदेश उस सामान्य इच्छा के मूर्त रूप

होते हैं जिसमें व्यक्ति की अपनी औचित्यपूर्ण इच्छा भी सम्मिलित होती है। ग्रीन के अनुसार, यदि राज्य उत्पीड़न करके अपनी आज्ञाओं का पालन कराता है तो वह राज्य कभी भी स्थायी नहीं हो सकता।

(7.) मानव स्वतंत्रता राज्य के आज्ञापालन में निहित — आदर्शवादी सकारात्मक स्वतंत्रता के उपासक हैं। उनके अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता राजकीय बंधनों के आधार पर ही प्राप्त की जा सकती है। राज्य द्वारा ही व्यक्तित्व विकास के अधिकाधिक अवसर प्रदान किये जा सकते हैं। बंधनों के अभाव में स्वतंत्रता केवल शक्तिशाली व्यक्तियों का विशेषाधिकार मात्र रह जायेगा।

(8.) राज्य अधिकारों का जन्मदाता है — आदर्शवादियों के अनुसार राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो व्यक्ति के नैतिक विकास हेतु आवश्यक बाह्य परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है और राज्य ही अधिकारों का जन्मदाता और नैतिक अभिभावक है।

(9.) व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं — इसके अनुसार जिस प्रकार अंग और शरीर के हितों में कोई विरोध नहीं होता उसी प्रकार व्यक्ति और राज्य में भी विरोध संभव नहीं है क्योंकि व्यक्ति के वास्तविक हित वही हैं जिन्हें राज्य द्वारा उनका हित समझा जाये। दोनों के हितों के

पारस्परिक विरोध की स्थिति में राज्य के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

(10) राजनीतिक और नैतिक कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं — ग्रीन के अनुसार कर्तव्य का संबंध मानव की नैतिक चेतना से है और राज्य मानव की नैतिक चेतना की ही व्यापक अभिव्यक्ति है अतः राज्य के प्रति हमारे प्रत्येक कर्तव्य का नैतिक होना आवश्यक है।

इस प्रकार आदर्शवाद में व्यक्ति के नैतिक हितों का, इच्छा का जिस रूप में स्थान है वह व्यक्ति के गौरव व्यापार को प्रतिबिंबित करता है हालांकि इसमें अतिशयोक्ति भी है।

Scanned with CamScanner